क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office
पंचदीप भवन, सैक्टर-16, फ़रीदाबाद-121002
Panchdeep Bhawan, Sector-16, Faridabad-121002
Phone: 0129-2222980 E-mail: rd-haryana@esic.gov.in
Website: www.esic.gov.in

सं0: 13.A.33/17/01/2023/Admin.

दिनांक: 27/03/2025

कार्यालय आदेश संख्या: 47/वर्ष 2025

अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक द्वारा दिनांक27.03.2025 को निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित पूरक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफ़ारिशों को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित कर्मचारियों की निम्न श्रेणी लिपिक के संवर्ग में नियमित पदोन्नति के आदेश दिए हैं:-

क्र.सं	कर्मचारी का नाम व कर्मचारी सख्या (सर्व श्री/श्रीमती/कु०)	वर्तमान पद एव तैनाती स्थान	पदोन्नत पद एव स्थानातरित/ तैनाती स्थान
1	Rakesh Kumar, 137243	MTS, Gurugram Hospital	**LDC, Gurugram Hospital**
2	Sarad Yadav, 137422	MTS, SRO Gurugram	**LDC, SRO Gurugram**
3	Sohan Lal, 136640	MTS, SRO Karnal	**LDC, SRO Karnal**
4	Pankaj Yadav, 137227	MTS, SRO Gurugram	**LDC, SRO Gurugram**
5	Harish Kumar, 162755	MTS, Gurugram Hospital	**LDC, Gurugram Hospital**
6	Krishan Kumar, 187136	MTS, RO Faridabad	**LDC, RO Faridabad**

पदोन्नत पद पर पदोन्नति कार्यग्रहण की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी । निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में पदोन्नति उपरांत वे वेतनमान लेवल2 (Rs. 19,900-63,200) सातवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार अपना वर्तमान/प्रारम्भिक वेतन पाने के हकदार होंगे तथा वेतन नियतन यदि अपेक्षित हुआ तो नियमानुसार नियत किया जाएगा ।

उक्त कर्मचारी उनकी नियमित पदोन्नति की तिथि से एक माह के अंदर वेतन नियतन का विकल्प दे सकते हैं कि उनका उच्च पद पर प्रारम्भिक वेतन मूल नियम FR- 22(I)(a)(1) में दिए गए प्रावधान के अंतर्गत निम्न पद के वर्तमान में वेतन वृद्धि के अर्जन के बिना पुनरीक्षण किए सीधे ही नियत कर दिया जाए ।

अथवा (एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा ।)

उनका वेतन पदोन्नत पद पर प्रथमतः मूल नियम FR- 22(I)(a)(1) में किए गये प्रावधान के तहत नियत किया जाए और इसे मूल नियमFR-22(I)(a)(1) में किए गए प्रावधान के आधार पर निम्न पद के वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि के अर्जन के बाद वेतन नियतन किया जाए ।

उपरोक्त वर्णित कर्मचारी उपर्युक्त पदोन्नति स्वीकार करने की इच्छा/अनिच्छा इस कार्यालय को दिनांक **01.04.2025** पूर्वाह्न तक प्रेषित करें । ऐसे कर्मचारी जो पदोन्नति अस्वीकार करते हैं अथवा उक्त समय में स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, भविष्य में उनके संबंध में नियमानुसार एक वर्ष तक नियमित पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा एवं उसके परिणामस्वरूप वे अपनी वरिष्ठता भी खो देंगे । ऐसे कर्मचारी जो उनकी अगली नियमित पदोन्नति से पहले निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत हो जाएंगे वे उनसे वरिष्ठ हो जाएंगे ।

उपर्युक्त कर्मचारियों को फिलहाल उनकी वर्तमान तैनाती स्थल पर पदोन्नत किया जा रहा है और उनका स्थानांतरण/तैनाती आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार अलग से जारी किया जाएगा।

निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एसएलपी (सी) संख्या30621/2011 के परिणाम के अधीन है और माननीय कैट चंडीगढ़ बेंच द्वारा ओ.ए. संख्या 846/2020 के आदेश के अधीन होगी जो पारित किया जा सकता है।

Digitally signed by
SHIV SHAKTI SHARMA
Date: 27-03-2025
16:58:22

(शिव शक्ति शर्मा)

उप निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित कर्मचारी (इस निर्देश के साथ कि वह अपनी स्वीकृति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अथवा अस्वीकृति रिपोर्ट को अपने नियंत्रक अधिकारी

के माध्यम से प्रशासन शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, फ़रीदाबाद को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित करें)।

2. महानिदेशक (स्था-2), मुख्यालय, क0 रा0 बी0 निगम, नई दिल्ली ।
3. डीन, क0 रा0 बी0 निगम महाविद्यालय व अस्पताल एन0एच0-3, एन0आई0टी0, फ़रीदाबाद ।
4. चिकित्सा अधीक्षक, क0 रा0 बी0 निगम चिकित्सालय, फरीदाबाद/ गुरुग्राम/मानेसर ।
5. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम/करनाल।
6. सभी शाखा अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय फरीदाबाद |
7. सभी शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय फरीदाबाद |
8. सभी शाखाएँ क्षेत्रीय कार्यालय फरीदाबाद |
9. सेवा पंजी सीट/ APAR सीट/ वेतन नियतन सीट/मासिक विवरणी सीट प्रशासन शाखा क्षेत्रीय कार्यालय फरीदाबाद |
10. सचिव एसिक कर्मचारी संघ हरियाणा/ सचिव एसिक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हरियाणा ।
11. गार्ड फ़ाइल/नोटिस बोर्ड/निजी फ़ाइल |